आराजी का मौके व राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन नहीं करने हेतु पाबंद किया जाना उचित एवं आवश्यक समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र सायलान अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। **<u>उभयपक्षकारान्</u>** को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला वाद सरहद मौजा ओडावास पटवार हल्का भूम्बलिया तहसील जैतारण जिला ब्यावर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 31 रकबा 1.6187 हैक्टयर किस्म चाही चारम व खसरा संख्या 33 रकबा 1.7078 किस्म चाही चारमे के राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर जमा हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 25.08.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)